

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2020—भाद्रपद 13, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निखील राजेश शाह आत्मज श्री राजेश पी. शाह, उम्र 30 वर्ष, निवासी-17/18, सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, होटल ऐवलोन के पास, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम निखिल शाह, निलिख राजेश शाह (Nikhil Rajesh Shah) था तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम निखील राजेश शाह (NIKEEL RAJESH SHAH) रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे निखील राजेश शाह (NIKEEL RAJESH SHAH) आत्मज श्री राजेश पी. शाह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

निखिल शाह
(NIKHIL SHAH)
निखिल राजेश शाह
(NIKHIL RAJESH SHAH)
पिता-श्री राजेश पी. शाह
निवासी-17/18, सिम्पलेक्स कालोनी,
मालवीय नगर,
होटल ऐवलोन के पास, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

निखील राजेश शाह
(NIKEEL RAJESH SHAH)
पिता-श्री राजेश पी. शाह
निवासी-17/18, सिम्पलेक्स कालोनी,
मालवीय नगर,
होटल ऐवलोन के पास, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओविका नायक आत्मजा श्री केशव नायक, उम्र 22 वर्ष, निवासी-एल. आई. जी. 311, वार्ड नं.-22, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, बी. एम. वाई. चरोदा, भिलाई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम बरखा रानी नायक, बरखा रानी पिता केशव नायक, केशव दर्ज है। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम ओविका नायक (Ovika Nayak) रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे ओविका नायक (Ovika Nayak) आत्मजा श्री केशव नायक (Shri Keshav Nayak) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
बरखा रानी नायक (Barkha Rani Nayak) बरखा रानी (Barkha Rani) पिता-श्री केशव नायक (D/o-Shri Keshav Nayak) श्री केशव (Shri Keshav) निवासी-एल. आई. जी. 311, वार्ड नं.-22, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, बी. एम. वाई. चरोदा, भिलाई, तहसील- पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	ओविका नायक (Ovika Nayak) पिता-श्री केशव नायक (D/o-Shri Keshav Nayak) निवासी-एल. आई. जी. 311, वार्ड नं.-22, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, बी. एम. वाई. चरोदा, भिलाई, तहसील- पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, छगन बाई धृतलहरे, ध. प. स्व. भरतद्वारा धृतलहरे, उम्र 43 वर्ष, निवासी-ग्राम छछानपैरी, तहसील अभनपुर जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति सेनानी 11वीं वाहिनी (भा/र) छ. स. बल (छ. ग.) में कार्यरत थे, उनके देहान्तोपरान्त मेरी अनुकम्पा नियुक्ति छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग, मुख्यालय, नवा रायपुर में हुई। मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम लक्ष्मी बाई धृतलहरे दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम छगन बाई धृतलहरे है। मैं अपने पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरे नाम को परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे छगन बाई धृतलहरे ध. प. स्व. भरतद्वारा धृतलहरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
लक्ष्मी बाई धृतलहरे पति-स्व. भरतद्वारा धृतलहरे निवासी-ग्राम-छछानपैरी, तहसील-अभनपुर जिला-रायपुर (छ. ग.)	छगन बाई धृतलहरे पति-स्व. भरतद्वारा धृतलहरे निवासी-ग्राम-छछानपैरी, तहसील-अभनपुर जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती डॉ. नर्गिस बरेठ ध. प. डॉ. विमल कुमार बरेठ, उम्र 33 वर्ष, निवासी-स्मृति नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम मुकेश्वरी निर्मल आत्मजा श्री धानेश्वर कुमार निर्मल था मेरे जन्म प्रमाण पत्र में कु. मुकेश्वरी उर्फ नर्गिस दर्ज है। तथा मेरी जन्मतिथि 24-10-1986 है, मेरा विवाह दिनांक 17-02-2016 को विमल कुमार बरेठ के साथ संपन्न हुआ। मेरे मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम मुकेश्वरी बरेठ(Mukeshvri Bareth) ध. प. विमल कुमार बरेठ (Viml Kumar Bareth) दर्ज है। जबकि मेरे पति का वास्तविक नाम डॉ. विमल कुमार बरेठ (Dr. Vimal Kumar Bareth) है। विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती डॉ. नर्गिस बरेठ (Dr. Nargis Bareth) रख ली हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती डॉ. नर्गिस बरेठ (Dr. Nargis Bareth) ध. प. डॉ. विमल कुमार बरेठ (Dr. Vimal Kumar Bareth) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
कु. मुकेश्वरी उर्फ नर्गिस मुकेश्वरी निर्मल (Mukeshwari Nirmal) मुकेश्वरी बरेठ (Mukeshvri Bareth) पति- विमल कुमार बरेठ (W/o-Viml Kumar Bareth) निवासी-स्मृति नगर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती डॉ. नर्गिस बरेठ (Dr. Nargis Bareth) पति- डॉ. विमल कुमार बरेठ (W/o- Dr. Vimal Kumar Bareth) निवासी-स्मृति नगर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जया लक्ष्मी आत्मजा एल. तुलसी राव, उम्र 26 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी.-01/2107, हाउसिंग बोर्ड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, वार्ड नंबर-16, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन नंबर-490026 की हूँ। यह कि मेरे कक्षा 10 वीं से एम.बी. ए. तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों में मेरा नाम एल. जया लक्ष्मी, पेन कार्ड में लोट्टी जया लक्ष्मी, आत्मजा लोट्टी तुलसी राव दर्ज है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम एल. तुलसी राव है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम जया लक्ष्मी (Jaya Laxmi) रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे जया लक्ष्मी (Jaya Laxmi) आत्मजा एल. तुलसी राव (L. Tulsi Rao) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
एल. जया लक्ष्मी लोट्टी जया लक्ष्मी पिता-लोट्टी तुलसी राव निवासी-एम. आई. जी.-01/2107, हाउसिंग बोर्ड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, वार्ड नंबर-16, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	जया लक्ष्मी (Jaya Laxmi) पिता-एल. तुलसी राव (D/o- L. Tulsi Rao) निवासी-एम. आई. जी.- 01/2107, हाउसिंग बोर्ड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, वार्ड नंबर-16, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निर्मला बंजारे ध. प. स्व. संदीप बंजारे उम्र 38 वर्ष, जाति सतनामी निवासी-बलौदाबाजार, तहसील बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती निर्मला बंजारे है, किंतु मेरे पुत्र अनुराग बंजारे के शालेय रिकार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम अंजु बंजारे दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने पुत्र के समस्त शालेय रिकार्ड में, मेरे नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती निर्मला बंजारे ध. प. स्व. संदीप बंजारे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती अंजु बंजारे
पति- स्व. संदीप बंजारे
निवासी-बलौदाबाजार,
तहसील-बलौदाबाजार,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती निर्मला बंजारे
पति- स्व. संदीप बंजारे
निवासी-बलौदाबाजार,
तहसील-बलौदाबाजार,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निर्मला बंजारे ध. प. स्व. संदीप बंजारे उम्र 38 वर्ष, जाति सतनामी निवासी-बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती निर्मला बंजारे है, किंतु मेरे पुत्र समीर बंजारे के शालेय रिकार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम अंजु बंजारे दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने पुत्र के समस्त शालेय रिकार्ड में, मेरे नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती निर्मला बंजारे ध. प. स्व. संदीप बंजारे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती अंजु बंजारे
पति- स्व. संदीप बंजारे
निवासी-बलौदाबाजार,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती निर्मला बंजारे
पति- स्व. संदीप बंजारे
निवासी-बलौदाबाजार,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, त्रिलोक सिंह आत्मज श्री मुख्तार सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी-मकान नं.-11/ए, सड़क-15, सेक्टर-7, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम त्रिलोक सिंह आ. श्री मुख्तार सिंह है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम त्रिलोक सिंह मेहरा आ. श्री मुख्तार सिंह मेहरा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मैं मेरे नाम को परिवर्तित कर, मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अभिलेखों/दस्तावेजों में वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे त्रिलोक सिंह (Trilok Singh) आत्मज श्री मुख्तार सिंह (S/o- Shri Mukhtar Singh) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
त्रिलोक सिंह मेहरा (Trilok Singh Mehra) पिता-श्री मुख्तार सिंह मेहरा (S/o- Shri Mukhtar Singh Mehra) निवासी-मकान नं.-11/ए, सड़क-15, सेक्टर-7, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	त्रिलोक सिंह (Trilok Singh) पिता-श्री मुख्तार सिंह (S/o- Shri Mukhtar Singh) निवासी-मकान नं.-11/ए, सड़क-15, सेक्टर-7, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Rohit Kumar Agrawal आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद उम्र 31 वर्ष, निवासी-विवेकानंद नगर, मोपका, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम Rohit Kumar था जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम "Agrawal" जोड़कर नया नाम Rohit Kumar Agrawal रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Rohit Kumar Agrawal आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद Shri Rajendra Prasad के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
Rohit Kumar पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद (S/o-Shri Rajendra Prasad) निवासी-विवेकानंद नगर,मोपका, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	Rohit Kumar Agrawal पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद (S/o-Shri Rajendra Prasad) निवासी-विवेकानंद नगर,मोपका, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अब्दुल कादर खान आत्मज श्री अब्दुल सत्तार खान, उम्र 35 वर्ष, निवासी-मस्जिद के पास, सुभाष नगर, वार्ड क्र.-41, केलाबाड़ी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अब्दुल कादर (Abdul Kadar) आ. अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) दर्ज है जो कि अपूर्ण है जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम अब्दुल सत्तार खान है, मैं अपने नाम के साथ उपनाम “खान” जोड़कर पूर्ण नाम अब्दुल कादर खान (Abdul Kadar Khan) रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे अब्दुल कादर खान (Abdul Kadar Khan) आत्मज श्री अब्दुल सत्तार खान (Shri Abdul Sattar Khan) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अब्दुल कादर
(Abdul Kadar)
पिता-श्री अब्दुल सत्तार
(S/o- Shri Abdul Sattar)
निवासी-मस्जिद के पास,
सुभाष नगर, वार्ड क्र.-41,
केलाबाड़ी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अब्दुल कादर खान
(Abdul Kadar Khan)
पिता-श्री अब्दुल सत्तार खान
(S/o- Shri Abdul Sattar Khan)
निवासी-मस्जिद के पास,
सुभाष नगर, वार्ड क्र.-41,
केलाबाड़ी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2020

क्रमांक/परि./2020/1102.—जय भवानी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. समिति मर्या. रामदास नगर बिलासपुर पं. क्र. 3602 दिनांक 17-02-1995, विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं करने विगत वर्ष 2017-2018 से 2018-2019 तक का अंकेक्षण कराने बाबत अंकेक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के कारण संस्था को परिसमापन में लाने हेतु छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2020/252 दिनांक 03-02-2020 को दिया गया था। संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इससे यह प्रतीत होता है संस्था उक्त कार्य कराने में विशेष रूचि नहीं ले रहे है, जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये जय भवानी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. समिति मर्या. रामदास नगर बिलासपुर पं. क्र. 3602 दिनांक 17-02-1995 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर छ. ग. को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री नीतिन घोरे सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

मंजू महेन्द्र पाण्डेय
उप पंजीयक.

**छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ अल्टरनेटिव मेडिसीन
लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)**

नियम संख्या/सी. सी. ए. एम./2020/जनवरी/शासकीय/01

दिनांक 01 जनवरी 2020

प्रवेश एवं परीक्षा नियम 2020 संशोधित संश(संशोधित)

नियम संख्या :- सी.सी.ए.एम./2020/जनवरी/शासकीय/01, दिनांक 01.01.2020

01. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

- I. इस नियम का संक्षिप्त नाम **“छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ अल्टरनेटिव मेडिसीन, प्रवेश एवं परीक्षा नियम 2020” (संशोधित)** है।
- II. इसका विस्तार सम्पूर्ण देश भर होगा।
- III. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक के आपत्ति अवधि के समाप्ति अथवा आपत्ति के निराकरण के उपरांत से प्रवृत्त होगा।

02. परिभाषाएं :-

- I. काउंसिल :- काउंसिल से अभिप्राय **“छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ अल्टरनेटिव मेडिसीन”** ।
- II. अध्यक्ष/सचिव :- अध्यक्ष/सचिव से अभिप्राय छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ अल्टरनेटिव मेडिसीन के अध्यक्ष एवं सचिव निर्वाचित या मनोनित।
- III. पंजीकृत कार्यालय :- पंजीकृत कार्यालय से अभिप्राय काउंसिल का पंजीकृत कार्यालय लोरमी, जिला छ. ग. होगा।
- IV. प्रधान कार्यालय :- प्रधान कार्यालय से अभिप्राय काउंसिल का मुख्य कार्यालय, राज्य कार्यालय रायपुर, जिला रायपुर छ.ग. में स्थित होगा।
- V. प्रशिक्षण केंद्र :- प्रशिक्षण केंद्र से अभिप्राय छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ अल्टरनेटिव मेडिसीन के द्वारा संचालित इलेक्ट्रो-होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, बायोकेमी, चुम्बक चिकित्सा, मसाज चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युपंचर, एक्युप्रेसर पद्धति एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण केंद्र तथा काउंसिल से मान्यता/संबद्धता प्राप्त संस्थान होगा जहां पर नियमित एवं पत्राचार से अध्ययन एवं अध्यापन कार्य संपन्न होगा।
- VI. अध्ययन केंद्र :- अध्ययन केंद्र से अभिप्राय छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ अल्टरनेटिव मेडिसीन से अधिकृत पत्राचार एवं ओपन माध्यम के छात्रों के आवेदन, शुल्क संग्रहण केंद्र एवं परीक्षा केंद्र होगा। अध्ययन केंद्र विकासखंड स्तर पर किसी भी पंजीकृत संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान या स्कूल या कालेज में होगा।

- VII.** आवेदक :- आवेदक से अभिप्राय नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आनडिमांड तरीके से इलेक्ट्रो-होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, बायोकैमी, चुम्बक चिकित्सा, मसाज चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युपंचर, एक्युप्रेसर पद्धति एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का एक वर्षीय प्रमाण पत्र, दो वर्षीय डिप्लोमा एवं अन्य परिक्षा प्रमाण पत्र कोर्स के अध्ययन अध्यापन कार्य में शामिल होने के लिए अथवा परिक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रारूप में शुल्क के साथ आवेदन करेगा।
- VIII.** परिक्षा :- परिक्षा से अभिप्राय काउंसिल द्वारा आयोजित नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आन डिमांड माध्यम से इलेक्ट्रो-होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, बायोकैमी, चुम्बक चिकित्सा, मसाज चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युपंचर, एक्युप्रेसर पद्धति एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का एक वर्षीय प्रमाण पत्र, दो वर्षीय डिप्लोमा एवं अन्य परिक्षा प्रमाण पत्र काउंसिल द्वारा निर्धारित परिक्षा केंद्रों में तथा काउंसिल से अधिकृत परिक्षा केंद्राध्यक्ष, परिक्षकों, पर्यवेक्षकों, निरीक्षणकर्ताओं द्वारा काउंसिल से प्रदत्त परिक्षा सामाग्री द्वारा ली जावेगी। इलेक्ट्रो-होम्योपैथी एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, बैचलर डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा का परिक्षा आयोजन किया जावेगा। कुछ पैरामेडिकल, वोकेशनल एवं वोकेशनल एवं स्कील डेवलपमेंट के कोर्स का परिक्षा लिया जा सकेगा।
- IX.** प्रवेश पत्र :- काउंसिल द्वारा आयोजित परिक्षा में शामिल होने के लिए परिक्षा कक्ष में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश पत्र काउंसिल द्वारा छात्र/छात्राओं के लिए जारी की जावेगी।
- X.** परिक्षा समिति :- परिक्षा समिति से तात्पर्य काउंसिल द्वारा आयोजित परिक्षा के सफल संचालन के लिए काउंसिल द्वारा प्रत्येक परिक्षा केंद्र में परिक्षा समिति गठित की जावेगी। इसमें कम से कम 03 एवं अधिकतम 05 सदस्य होंगे। और एक काउंसिल में परिक्षा समिति होगी जिसके प्रमुख काउंसिल के सचिव होंगे अथवा सचिव द्वारा ही प्रत्येक केंद्र में परिक्षा समिति नियुक्त की जावेगी।
- XI.** केंद्र संचालन समिति :- काउंसिल के द्वारा विकासखंड स्तर पर केंद्र संचालन के लिए आवेदित संस्थानों अथवा स्वयं काउंसिल द्वारा केंद्र संचालन समिति गठित की जावेगी। इसमें कम से कम 03 एवं अधिकतम 07 सदस्य होंगे।
- XII.** गोपनीय विभाग :- काउंसिल द्वारा आयोजित परिक्षा के समस्त दस्तावेज गोपनीय विभाग के अर्न्तगत रहेगा, जिसका संरक्षक काउंसिल द्वारा नियुक्त किया जावेगा।
- XIII.** शुल्क :- शुल्क से अभिप्राय काउंसिल को अथवा काउंसिल से अधिकृत संस्थान के माध्यम से प्राप्त होने वाली नामांकन, परिक्षा, केंद्रांश, संबद्धता एवं अन्य समस्त प्रकार की शुल्क जो छात्र/छात्राओं या केंद्र द्वारा काउंसिल को प्रदान की जावेगी, अथवा छात्र/छात्राओं से काउंसिल अधिकृत संस्थान को निर्धारित शुल्क प्राप्त होगा। जमा पश्चात् किसी भी शर्त में वापसी या समायोजन नहीं होगा।

- XIV.** नामांकन नंबर :- नामांकन नंबर से अभिप्राय काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किये जाने पर प्रत्येक आवेदकों को एक नामांकन नंबर काउंसिल द्वारा प्रदान की जावेगी। नामांकित छात्र/छात्राओं को ही परीक्षा आवेदन पत्र प्रदान की जावेगी।
- XV.** रोल नंबर :- रोल नंबर से अभिप्राय आवेदकों द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि तक जमा करने पर प्रवेश पत्र प्रदान की जावेगी जिसमें रोल नंबर का उल्लेख किया जावेगा।
- XVI.** संबंधता :- संबंधता से अभिप्राय ऐसे संस्थान जो शासन से पंजीकृत होकर अथवा अनुमति/मान्यता/अनापत्ति लेकर काउंसिल से संबंधता लेना चाहेगी उसे काउंसिल निर्धारित शुल्क लेकर निरीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर संबंधता प्रदान कर सकेगी इस संबंध में संबंधता प्रमाण पत्र काउंसिल द्वारा दी जावेगी।
- XVII.** समकक्षता :- समकक्षता से अभिप्राय काउंसिल सभी शासकीय मान्यता प्राप्त बोर्ड/काउंसिल को अपने समकक्ष मानते हुए समकक्षता प्रदान करगी जब उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन एवं निर्धारित शुल्क प्रदान किये जाने पर अथवा पारस्परिकता के आधार पर समकक्षता दी जावेगी और समकक्षता इसी आधार पर ली जावेगी। अन्य बोर्ड/काउंसिल को नियमानुसार समकक्षता दी जा सकेगी।
- XVIII.** अंक पत्र :- अंक पत्र से अभिप्राय काउंसिल द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल छात्र/छात्राओं को उनके द्वारा प्राप्त अंकों का अंक तालिका या अंकसूची प्रदान की जावेगी।
- XIX.** प्रमाण पत्र :- काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र काउंसिल द्वारा दी जावेगी।
- XX.** परीक्षा विधि :- काउंसिल द्वारा परीक्षा नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आन डिमांड के छात्रों के लिए कई तरीकों से परीक्षा ली जावेगी। जिसमें क्लास रूम में उत्तर पुस्तिका में, आन लाइन कम्प्यूटर द्वारा एवं अन्य तरीकों से ली जावेगी।
- XXI.** काउंसिल द्वारा रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक कोर्स का संचालन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, मसाज, एक्युप्रेसर, एक्युपंचर, बायोकेमी, योगा, नेचरोपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, अल्टरनेटिव मेडिकल कोर्स में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/बैचलर डिप्लोमा एवं मास्टर डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जा सकेगा।
- XXII.** कारपोरेट कार्यालय :- काउंसिल द्वारा निर्धारित स्थान में हो सकेगा। प्रायः सभी राज्यों के राजधानी में खोली जा सकेगी।

XXIII. संरक्षक सदस्य/सम्माननीय सदस्य :- काउंसिल द्वारा समाज के वरिष्ठ लोगों को नियमानुसार संरक्षक एवं सम्माननीय सदस्य के रूप में सहमति लेकर मनोनित की जा सकेगी।

XXIV. प्रवेश कार्यालय :- प्रवेश कार्यालय से अभिप्राय काउंसिल में संचालित कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जहाँ संग्रहित किया जावेगा। काउंसिल में संचालित कोर्स में प्रवेश के लिए केवल प्रवेश आवेदन पत्र जमा लिया जावेगा साथ ही काउंसिल के अनुमति से काउंसिल के नाम पर देय केवल डी.डी. जमा लिया जा सकेगा जिसे प्रवेश कार्यालय प्रमुख को 07 दिवस के भीतर प्रधान कार्यालय पंजीकृत डाक से भेजना होगा। काउंसिल अपनी सुविधानुसार आवश्यकता होने पर कहीं भी प्रवेश कार्यालय खोल सकेगी, प्रवेश कार्यालय के लिए आवेदन आने पर नियमानुसार प्रवेश कार्यालय के लिए अनुमति प्रदान की जा सकेगी। प्रवेश कार्यालय में पत्राचार एवं आनडिमांड मोड के लिए ही प्रवेश लिया जावेगा नियमित के लिए विशेष अनुमति लेकर की जा सकेगी। प्रवेश कार्यालय में प्रशिक्षण एवं परीक्षा का आयोजन नहीं होगा नजदीकी केंद्र में अथवा काउंसिल के द्वारा निर्धारित स्थान में होगा।

XXV. पंजीयन :- परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का नाम काउंसिल के पंजीयन रजिस्टर में नियमानुसार आवेदन, शुल्क एवं शर्तों के तहत दर्ज कर एक पंजीयन क्रमांक निश्चित अवधि के लिए दिया जावेगा।

03. छात्रों का नामांकन :-

- I. नियमित/पत्राचार के छात्र/छात्राओं का नामांकन काउंसिल के द्वारा संचालित या अधिकृत केंद्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र आवश्यक योग्यता धारित करने वाले आवेदकों से निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने पर छात्रों का नामांकन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि के उपरांत विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार की जावेगी।
- II. पत्राचार, ओपन एवं आनडिमांड के छात्र/छात्राओं का नामांकन अध्ययन केंद्र के माध्यम से अथवा सीधे काउंसिल को निर्धारित शुल्क के साथ, निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने पर नामांकन की जावेगी।
- III. अन्य समकक्ष बोर्ड/काउंसिल से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग काउंसिल द्वारा की जा सकेगी।
- IV. छात्रों का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित शुल्क समयावधि में जमा करेगा।
- V. छात्र को संस्थान के सभी नियम शर्तों के अधीन कार्य करना होगा।
- VI. छात्र को संस्थान के सभी नियम शर्तों का पालन करना होगा।
- VII. अनुशासनहीनता पर संस्थान से नाम काट कर निष्कासित किया जा सकेगा। निष्कासन किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार का कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

- VIII. संस्थान में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा सकती है, एवं रैंक के अनुसार प्रवेश दी जा सकेगी।
- IX. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश ली जा सकेगी।
- X. निर्धारित योग्यता में प्रतिसत के आधार पर प्रवेश दी जा सकेगी।
- XI. संबंध संस्था प्रमुख, काउंसिल के निर्देशानुसार काउंसिल में प्रचलित प्रणाली के अनुसार प्रवेश देंगे।
- XII. 25 प्रतिसत सीट में प्रवेश संस्था प्रमुख अपने सुविधानुसार दे सकेंगे।
- XIII. शासन के नियमानुसार प्रवेश लिया जा सकेगा।
- XIV. प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष होगा एवं अधिकतम के लिए सीमा नहीं होगा।

04. प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

- I. नियमित/पत्राचार के छात्र/छात्राओं को प्रवेश के लिए कोर्स अनुसार निर्धारित 8वी, 10वी, 12वी अथवा अन्य अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति जमा करना होगा।
- II. आधार कार्ड अथवा निवास प्रमाण पत्र।
- III. स्वयं का हाल ही खिंचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- IV. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
- V. निर्धारित शुल्क राशि का डी.डी. काउंसिल के नाम पर।

05. परीक्षा के उत्तीर्णांक :-

- I. प्रति विषय 100 अंक निर्धारित होगा जिसमें 40 प्रतिसत अंक पाने पर ही उत्तीर्ण माना जावेगा।
- II. 40 प्रतिसत अंक से कम अंक किसी एक विषय में प्राप्त होने पर कृपांक दिया जा सकेगा। कृपांक अधिकतम 10 अंक दिया जा सकता है।

06. अतिरिक्त विषयों का चयन :-

- I. प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, बैचलर डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में निर्धारित विषयों के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं अतिरिक्त विषयों के चुनाव के साथ परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
- II. काउंसिल से या संबंध संस्थान से लिखित अनुमति लेकर ही अतिरिक्त विषयों का चुनाव किया जाना है।
- III. संबंध संस्थान काउंसिल से अनुमति लेकर ही अतिरिक्त विषय का अनुमति दे सकेंगे।

07. छात्र/छात्राओं का वर्गीकरण :-

- I. नियमित छात्र

- II. प्रथम अवसर के साथ नियमित छात्र
- III. पत्राचार के छात्र
- IV. ओपन के छात्र
- V. बाहरी छात्र
- VI. एक विषयीय छात्र
- VII. बाहरी एक विषयीय छात्र
- VIII. पुरक छात्र

08. परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी की योग्यता :-

- I. प्रमाण पत्र कोर्स के लिए 08वीं पास अथवा 10 वीं उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होनी चाहिए।
- II. डिप्लोमा कोर्स के लिए 10वीं अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना चाहिए।
- III. बेचलर डिप्लोमा के लिए 12 वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- IV. मास्टर डिप्लोमा के लिए बेचलर डिप्लोमा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- V. अन्य समकक्ष बोर्ड/काउंसिल से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को अनापत्ति या काउंसिल द्वारा मांगे जाने वाले प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।

09. केंद्र और परीक्षा की तिथि :-

- I. केंद्र की स्थापना काउंसिल के द्वारा की जावेगी अथवा केंद्र स्थापना के इच्छुक व्यक्ति, संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क देने पर केंद्र संचालन की अनुमति काउंसिल द्वारा की जावेगी।
- II. परीक्षा आयोजन के संबंध में समय सारणी काउंसिल द्वारा नियमित, पत्राचार, ओपन एवं आन डिमांड परीक्षा के संबंध में जारी की गई अवधि में ही परीक्षा आयोजित की जावेगी।

10. परीक्षा की भाषा :-

- I. हिन्दी
- II. अंग्रेजी या राज्य की स्थानीय भाषा में काउंसिल के नियमानुसार ली जावेगी।
- III. छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का छत्तीसगढ़ी भाषा में परीक्षा ली जा सकेगी।

11. परीक्षा के प्रकार :-

- I. नियमित
- II. पत्राचार

III. ओपन

IV. आनडिमांड की परीक्षा उत्तरपुस्तिका आधारित, आनलाइन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जावेगी।

12. परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र :-

- I. काउंसिल द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में आवेदन काउंसिल द्वारा अधिकृत स्कूल, केंद्र में जमा करना होगा।
- II. काउंसिल के सीधे बैंक खाते में शुल्क जमा की जा सकेगी या काउंसिल के नाम पर देय डी.डी. जमा की जा सकेगी।
- III. परीक्षा फार्म के जमा करने के समयावधि के उपरांत निर्धारित अवधि तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा ली जावेगी।

13. शुल्क वापसी :-

- I. काउंसिल द्वारा किसी प्रकार का कोई भी शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा और ना ही समायोजित की जावेगी।
- II. शुल्क जमा करने के पूर्व जमा कर्ता को शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र सादे कागज या नोटराइज्ड हो सकेगा।

14. अधिकृत संस्थान की निरीक्षण :-

- I. काउंसिल कभी भी अपने अधिकृत या संबंधित संस्थान या केंद्र की निरीक्षण कभी भी या शिकायत प्राप्त होने पर टीम गठित कर या सचिव या काउंसिल पदाधिकारी कभी भी कर सकेगा।
- II. निरीक्षण शुल्क अधिकृत संस्थान को देना होगा, अधिकतम वर्ष में 04 बार।

15. विवाद का निराकरण :-

- I. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सचिव का निर्णय अंतिम होगा।
- II. रायपुर क्षेत्र के न्यायालय के अर्न्तगत एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का निर्णय मान्य होगा।
- III. काउंसिल से संबंधित संस्थान और संस्थान के अध्यक्ष/छात्र/छात्राएं काउंसिल के नियम शर्तों को अपील नहीं कर सकेंगे। काउंसिल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

16. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

- I. परीक्षा कक्ष में काउंसिल द्वारा जारी प्रवेश पत्र धारित छात्र/छात्राएं ही परीक्षा में शामिल होने जा सकेगी।
- II. परीक्षा कक्ष में काउंसिल से अधिकृत केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, निरीक्षण टीम या अन्य व्यक्ति प्रवेश के पात्र होंगे।

- III. परीक्षा कक्ष में काउंसिल किसी अन्य शासकीय व्यक्ति जैसे तहसीलदार, कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी केंद्राध्यक्ष के अनुमति/सहमति/सुचना से जा सकेंगे।
- IV. शासन से अधिकृत शासकीय व्यक्ति परीक्षा केंद्र में जा सकेंगे।
- V. परीक्षा कक्ष में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा और जबरदस्ती प्रवेश पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
- VI. परीक्षा केंद्र में आवश्यकता होने पर संस्थान/काउंसिल द्वारा पुलिस बल की सुरक्षा ली जा सकेगी।

17. छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर परीक्षा का आयोजन :-

- I. काउंसिल द्वारा अधिकृत स्कूल एवं केंद्र में परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।
- II. काउंसिल के द्वारा निर्धारित समय सारणी में नियमानुसार परीक्षा आयोजित होगी।
- III. काउंसिल के नियमानुसार परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा।
- IV. परीक्षा का आयोजन काउंसिल के निर्देशन में हो सकेगा।

18. गोपनीय दस्तावेज के संरक्षक के कार्य :-

- I. दस्तावेज की गोपनीयता बनाये रखना होगा।
- II. दस्तावेज को केवल काउंसिल के अधिकृत व्यक्तियों को ही देना होगा।
- III. काउंसिल द्वारा सौंपे समस्त कार्य करना होगा।

19. परीक्षक के कार्य :-

- I. काउंसिल के नियमानुसार परीक्षा सम्पन्न कराना।
- II. काउंसिल द्वारा सौंपे समस्त कार्य करना।
- III. केंद्राध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करना।

20. परीक्षा केंद्र में परीक्षा के नियम :- काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमानुसार परीक्षा केंद्र में परीक्षा का संचालन किया जावेगा।

21. परीक्षार्थी का दुराचार :-

- I. परीक्षा नियमावली के उल्लंघन करना दुराचार माना जावेगा।
- II. परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- III. परीक्षा कक्ष में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यहार दुराचार माना जावेगा।
- IV. दुराचार पर परीक्षार्थी को निष्कासित कर उनका परीक्षा रद्द की जा सकता है अथवा उस विषय में फेल माना जावेगा।
- V. दुराचार पर पुलिस कार्यवाही केंद्राध्यक्ष या काउंसिल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी।

22. प्रश्न पत्र सेटर और देखरेख कर्ता की नियुक्ति :-

- I. प्रश्न पत्र सेट करने वाले और सेट कर्ता की निगरानी कर्ता को काउंसिल द्वारा नियुक्त की जावेगी।
- II. प्रश्न पत्र काउंसिल कार्यालय में सेट की जावेगी।
- III. प्रश्न पत्र लिख होने की दशा में प्रश्न पत्र सेट कर्ता और निगरानी कर्ता के उपर उचित दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी और परीक्षा रद्द की जा सकेगी।

23. परीक्षकों, पर्यवेक्षकों, निरीक्षणकर्ता, जांच कर्ताओं और केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति :-

- I. परीक्षकों की नियुक्ति स्कूल प्रबंधन एवं केंद्र प्रमुख द्वारा की जावेगी।
- II. निरीक्षण कर्ता एवं केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति काउंसिल द्वारा की जावेगी।

24. परीक्षकों, निरीक्षणकर्ता, पर्यवेक्षकों, जांचकर्ताओं एवं केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति रद्द करना :-

- I. किसी भी प्रकार के कदाचरण करने पर नियुक्ति रद्द मानी जावेगी।
- II. किसी भी नियम शर्तों के उल्लंघन पर नियुक्ति रद्द की जावेगी और नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी।

25. परिक्षाफल का प्रकाशन :-

- I. परिक्षाफल का प्रकाशन काउंसिल, स्कूल एवं केंद्र के सूचना पटल पर प्रकाशित की जा सकेगी।
- II. परिक्षाफल का प्रकाशन आनलाइन काउंसिल के वेब साइट में प्रकाशित की जा सकेगी।
- III. समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकेगी।

26. पुनर्मुल्यांकन :-

- I. परीक्षा परिणाम घोषणा या प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ जमा करने पर ही की जावेगी। समयावधि के बाद पुनर्मुल्यांकन आवेदन स्वीकार नहीं की जावेगी।
- II. काउंसिल के प्राध्यापकों द्वारा की गयी पुनर्मुल्यांकन अंतिम होगा।

27. कर्मचारियों द्वारा परीक्षा में दुराचार के लिए दंड :-

- I. संस्थान से बहिष्कृत की जा सकेगी।
- II. पुलिस एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।
- III. डिमोशन की जा सकेगी।
- IV. पेनाल्टी लगाया जा सकेगा।
- V. उक्त में से कोई दो आरोपित की जा सकेगी।

28. उत्तर पुस्तिका का नष्टीकरण :-

- I. सभी कक्षाओं के परिक्षा परिणाम के प्रकाशन के 60 दिवस के उपरांत कभी भी काउंसिल नष्टीकरण कर सकेगी।

29. प्रवेश की सुचना :-

- I. प्रवेश प्रारंभ तिथि एवं अंतिम तिथि काउंसिल द्वारा निर्धारित की जावेगी।
- II. प्रवेश की सुचना काउंसिल द्वारा समाचार पत्रों, काउंसिल वेब साइट और विज्ञापन सामाग्री द्वारा की जावेगी।
- III. निर्धारित तिथि के उपरांत विलंब शुल्क के साथ प्रवेश ली जा सकेगी।
- IV. किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश देने का निर्णय सीट की उपलब्धता के आधार एवं प्रस्तुत दस्तावेज के जांच के उपरांत संस्था प्रमुख निर्णय ले सकेंगे।
- V. काउंसिल का निर्णय प्रवेश के लिए अंतिम होगा।

30. शिक्षात्मक विधि :-

- I. नियमित
- II. पत्राचार
- III. ओपन
- IV. आनडिमांड

31. शिक्षा सत्र

- I. वर्ष में दो शिक्षा सत्र होगी नियमित, पत्राचार और ओपन के लिए जुलाई से अप्रैल और जनवरी से दिसंबर तक होगी।
- II. आन डिमांड परिक्षा काउंसिल द्वारा निर्धारित तिथि में कभी भी हो सकेगी।
- III. आन डिमांड परिक्षा प्रति 03 माह में काउंसिल द्वारा आयोजित की जा सकेगी।

32. परिक्षा :-

- I. काउंसिल के सभी आवेदित छात्र/छात्राओं का परिक्षा निर्धारित/घयनित परिक्षा केंद्रों में ली जावेगी। आवेदकों को परिक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र काउंसिल द्वारा जारी की जावेगी।
- II. परिक्षा काउंसिल द्वारा निर्धारित समय सारणी में ही आयोजित होगी।
- III. परिक्षा में अनुपस्थित छात्र/छात्राओं का शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा।
- IV. परिक्षा उपरांत शामिल छात्र/छात्राओं को अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र काउंसिल द्वारा प्रदान की जावेगी।

- V. परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं हायर एजुकेशन के लिए बोर्ड/विधि में प्रवेश ले सकेंगे, प्रवेश देने या नहीं देने का अंतिम निर्णय संबंधित संस्थान का होगा। इसमें काउंसिल किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- VI. परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं शासकीय/नीजी जाब कर सकेंगे, जाब देने या नहीं देने का अंतिम निर्णय नियोक्ता का होगा। इसमें काउंसिल किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- VII. काउंसिल द्वारा जारी प्रमाण पत्र का शासकीय काउंसिल में पंजीयन होना या ना होना उक्त काउंसिल का अपना निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ अल्टरनेटिव मेडिसीन किसी काउंसिल को पंजीयन करने के लिए किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

33. उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण :-

- I. काउंसिल सभी उत्तीर्ण छात्रों का पंजीयन नियमानुसार करेगी एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगी।
- II. काउंसिल द्वारा पंजीयन नियमानुसार प्रारूप में आवेदन एवं निर्धारित नियम शर्त को स्वीकार करने वाले आवेदकों से निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत संतुष्ट होने पर पंजीयन करेगी।
- III. किसी भी छात्र छात्रा को काउंसिल को विश्वास दिलाना होगा कि वह निर्धारित नियम के अनुसार ही कार्य करेगा तभी उसका पंजीयन किया जावेगा। अर्थात् पंजीकरण के सभी नियम शर्तों का पालन करेगा। इसके लिए शपथ पत्र देना होगा।
- IV. किसी भी पंजीकरण नियम शर्त के उल्लंघन किये जाने पर पंजीयन काउंसिल कभी भी बिना पूर्व सूचना दिये निरस्त कर सकेगी जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। काउंसिल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- V. परीक्षा परिणाम घोषित होने के 90 दिवस के भीतर पंजीयन कराना आवश्यक होगा इसके उपरांत विलंब शुल्क के साथ पंजीयन किया जावेगा।
- VI. पंजीयन अवधि के समाप्ति के पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।
- VII. काउंसिल द्वारा पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।
- VIII. पंजीकृत आवेदक को केंद्र एवं राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ही अधिकार प्राप्त होंगे।
- IX. पंजीयन उपरांत काउंसिल द्वारा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है केवल कर्तव्य तय किया जाता है।

34. संबंधिता/मान्यता प्रदान किया जाना :-

- I. संबंधता ऐसे संस्थान जो शासन से पंजीकृत है को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क दिये जाने और काउंसिल के मापदंड पुरा करने के उपरांत काउंसिल निरीक्षण कराने के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर केंद्र संचालन के लिए संबंधता/मान्यता प्रदान करेगी।
- II. काउंसिल का निर्णय अंतिम होगा, काउंसिल को प्राप्त हो चुके संबंधता/मान्यता शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी नहीं होगी।
- III. संबंधता नहीं दिये जाने की स्थिति या संबंधता निरस्त किये जाने की स्थिति में भी कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगी।
- IV. काउंसिल कभी भी किसी भी केंद्र को बंद कर सकती है।
- V. काउंसिल एक ही स्थान में एक से अधिक केंद्र को संबंधता दे सकेगी।
- VI. किसी भी नियम शर्त के उल्लंघन पर संबंधता निरस्त की जावेगी।
- VII. संबंध संस्थान के विरुद्ध न्यायालयीन एवं पुलिस प्रकरण दर्ज होने पर संबंधता रद्द की जा सकेगी। दोष प्रमाणित होने पर स्वयं रद्द मानी जावेगी। दोष से उन्मुक्त किये जाने पर संबंधता नियमानुसार नियमित की जा सकेगी।

35. संबंधता के प्रकार एवं शुल्क :-

- I. नियमित एवं पत्राचार के लिए पंजीकृत संस्थान को संबंध किया जावेगा।
- II. ओपन एवं आन डिमांड के लिए केंद्र की स्थापना की जावेगी। प्रत्येक केंद्र में एक को आर्डिनेटर या केंद्र प्रमुख होगा।
- III. प्रथम वर्ष अस्थायी संबंधता प्रदान की जावेगी।
- IV. एक वर्ष पूर्ण होने पर सभी सुविधाएं नियमानुसार होने पर स्थायी संबंधता प्रदान की जावेगी।
- V. संबंधता के लिए निर्धारित शुल्क काउंसिल द्वारा ली जावेगी।
- VI. संबंधता शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन आने पर ही या निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अस्थायी या स्थायी समकक्षता प्रदान की जा सकेगी।
- VII. संबंधता के लिए काउंसिल के संबंधता विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- VIII. संबंधता के लिए निर्धारित शुल्क ली जावेगी।
- IX. संबंधता शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी नहीं होगी।
- X. सभी संबंध संस्थान काउंसिल को भेजे जाने वाले समस्त शुल्क जैसे नामांकन, परिश्रम अथवा केंद्रांश शुल्क जमाकर्ता से प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से काउंसिल के नाम से डी.डी.

बनवाकर पंजीकृत डाक से भेजेंगे अथवा स्वयं काउंसिल आफिस आकर जमा करेंगे अन्यथा संबंधिता निरस्त कर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

- XI. काउंसिल को भेजे जाने वाले समस्त शुल्क डी.डी. के रूप में जमा लेना अनिवार्य होगा, नगद जमा लेने का अधिकार संबंध संस्थान को नहीं होगा।

36. रैगिंग की रोकथाम :-

- I. काउंसिल से अधिकृत सभी संस्थान में एंटी रैगिंग टीम गठित की जावेगी।
- II. रैगिंग में शामिल छात्र/छात्राओं का नामांकन निरस्त कर निष्कासित करने की कार्यवाही एंटी रैगिंग टीम अथवा संस्था प्रमुख द्वारा की जा सकेगी।
- III. रैगिंग में शामिल छात्र/छात्राओं के उपर उचित दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
- IV. रैगिंग की रोकथाम की समस्त जिम्मेदारी संबंध संस्थान प्रमुख की होगी।
- V. निष्कासित छात्रों को कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

37. संबंध संस्थानों के कर्तव्य :-

- I. काउंसिल से संबंध सभी संस्थानों को काउंसिल के सभी मौखिक/लिखित आदेशों, सुचनाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
- II. काउंसिल के छवि को बनाये रखने हेतु उचित कार्यवाही करना होगा।
- III. सभी व्यक्तियों, संस्था को उचित एवं सही जानकारी प्रदान करना होगा।
- IV. आम जनो एवं छात्रों को भ्रामक प्रचार या जानकारी नहीं देना है।
- V. निर्धारित शुल्क ही लेना और समस्त उचित सुचनाएं सुचना पटल पर प्रदर्शित करना और सभी छात्र/छात्राओं तक जानकारी पहुंचाना होगा।
- VI. निर्धारित समय में आवेदन प्राप्त कर शुल्क जमा लेकर काउंसिल को निर्धारित शुल्क आवेदन पत्र के साथ भेजना।
- VII. संस्थान की सभी आवश्यकताओं के आधार पर व्यवस्था करना।
- VIII. कानून व्यवस्था बनाए रखना और उचित समय पर सभी कार्य समपन्न कराना।
- IX. काउंसिल किसी भी संबंध संस्थानों के देयकों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी।

38. अन्य संस्थान से संबंधिता :-

- I. काउंसिल कभी भी अन्य बोर्ड/काउंसिल अथवा संस्थान से संबंधिता लेकर अन्य कोर्स का संचालन कर सकेगी।

II. काउंसिल अन्य बोर्ड/काउंसिल अथवा संस्थान के पाठ्यक्रमों को भी अपने संबंध संस्थानों में संचालित कर सकेगी।

39. नियमों की बदलने की शक्ति :-

काउंसिल कभी भी किसी भी नियम शर्त में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सुचना एवं सुझाव आमंत्रित बिना कर सकती है, जिसे सभी संबंध संस्थान एवं छात्र/छात्राओं को मानना ही होगा।

40. व्याख्या :- उक्त नियम की उचित व्याख्या काउंसिल द्वारा की जावेगी, काउंसिल का व्याख्या अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

नोट :- किसी भी नियम शर्त के संशोधन के संबंध में अपना आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर स्वयं या अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

डी. पी. जोशी,
सचिव.